

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण

किस्म मुकदमा :- राजस्व प्रार्थना पत्र
अनवान तहसीलदार

बनाम

संख्या :- 51 / 2020
अणदाराम वगैराह

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुए
03.03.2020	<p>तहसीलदार उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 LR Act, 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा-लौटोती, पटवार हल्का लौटोती, तहसील-जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 251 जमाबन्दी सेग्रिगेशन कार्य को पूर्ण करने एवं नक्शे में दर्ज खसरा नम्बर का वन दू वन गिलान के मध्य जिन खसरों में रिकार्ड मौका तथा नक्शे में भिन्नता आ रही है यथा खातेदार के अलग अलग खसरों नम्बरों की सीमाओं में अन्तर है तथा नक्शा अनुरूप खसरों का रकबा मिलान नहीं होता है। ऐसे खसरा नम्बरों के नक्शे की सीमाओं में दुरुस्ती प्रस्ताव निम्नानुसार सेवा में पेश है। ग्राम लौटोती पटवार हल्का लौटोती तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) के खसरा नम्बर 251 रकबा 04-09 बीघा खातेदारान् का आवेदन मय रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि पेश कर निवेदन है कि निम्नानुसार रिकार्ड दुरुस्ती का आदेश प्रदान करने की कृपा करावें। प्रस्तुत प्रा. पत्र एवं मय रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>मौजा लौटोती के खसरा नम्बर 251 रकबा 04-09 बीघा भूमि संलग्न जमाबन्दी अनुसार खातेदार के नाम दर्ज हैं। पटवारी हल्का लौटोती ने अपनी जांच रिपोर्ट में निवेदन किया कि उक्त खातेदारान् की उक्त भूमि मौके पर खसरा नम्बर 251 रकबा 04-09 बीघा भूमि दो भागों में खसरा नम्बर 251 रकबा 02-16 बीघा एवं खसरा नम्बर 251/1 रकबा 01-13 बीघा अलग-अलग भागों में स्थित हैं, जिनकी सीमाएँ एक दूसरे से चिपती हुई नहीं हैं। तथा बीच में अन्य खातेदारों की भूमि आई हुई है। अतः उक्त 04-09 बीघा भूमि को दो भागों में रेकर्ड में दर्ज किया जाना उचित होगा। ताकि DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के अंतर्गत वन दू वन मेपिंग तरमीम कार्य में सुविधा होगी तथा रेकर्ड भी अपडेट हो जायेगा। इस संबंध में संबंधित खातेदार ने मौका फर्द में अपनी सहमति प्रदान कर दुरुस्ती हेतु निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार जैतारण वास्ते रेकर्ड दुरुस्ती राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 एवं 131 के तहत प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया गया।</p> <p>प्रार्थी तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेज तथा पटवारी हल्का लौटोती की जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि काश्तकार की उचित समस्या को दूर करने एवं रेकर्ड अपडेट करने तथा नक्शा तरमीम के लिए 251 रकबा 04-09 बीघा भूमि दो भागों में खसरा नम्बर 251 रकबा 02-16 बीघा एवं खसरा नम्बर 251/1 रकबा 01-13 बीघा को विभाजित करते हुए इन्द्राज दुरुस्त किया जाना उचित समझते हैं। खसरा नम्बर 264 व 266 में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होने से यथावत रहेंगे।</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा-लौटोती पटवार हल्का लौटोती तहसील जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख.न. 251 की जमाबन्दी में खातेदार के नाम दर्ज हैं। पटवारी हल्का लौटोती, भू.अ.निरीक्षक निम्बोल एवं तहसीलदार जैतारण ने खातेदार का आवेदन एवं रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जिसे प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार 251 रकबा 04-09 बीघा भूमि दो भागों में खसरा नम्बर 251 रकबा 02-16 बीघा एवं खसरा नम्बर 251/1 रकबा 01-13 बीघा की इन्द्राज दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं। खसरा नम्बर 264 व 266 में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होने से यथावत रहेंगे। खातेदार के नाम, हक हिस्सा की प्रविष्टियां बदस्तूर जारी रहेगी, तथा खातेदार व अन्य पक्षकार इस अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे, तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। पृथक से आदेश जारी हो जो पत्रावली का भाग होगा, आदेश एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रेषित प्रस्ताव जो इस निर्णय का भाग होगा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाबता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।</p>	<p>308 6/3/2020</p>

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण

